फर्द अहकाम

हेमराज उर्फ ताराचन्द वगै0 बनाम राज0 सरकार

पत्र संख्या: /20/2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
24.05.2024	वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र बाबत् पत्थरगढी एण्ड रिकार्ड दुरूस्ती भू-राजस्थान अधिनियम 1956 का पेश किया। रिपोर्ट सरिस्ता तलब हो चुकी है। अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड नोटिस एवं जवाब हेतु तहरीर जारी होकर पत्रावली दिनांक 14.06.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	नोटिस जारी 3559-61 31/5/24
14/6/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप0 वकील प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को जारी नोटिस पेश किये बहस तामिल अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं वकील प्रार्थी की बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर [illegible] [illegible] किया गया जाकर शामिल पत्रावली [illegible] पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो [illegible] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:13:35 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय (सांगानेर),जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस
प्रार्थना पत्र : 120/2024
निर्णय दिनांक :- 14/6/2024

1. हेमराज उर्फ ताराचन्द पुत्र स्व० श्योनारायण
2. रोशन पुत्र स्व० श्योनारायण समस्त जाति–रैगर निवासी ग्राम सालगरामपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर हाल निवासी सीतापुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. गीता पुत्री स्व० भौरीलाल जाति–रैगर निवासी ग्राम सीतापुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. रोशन लता पत्नि रामजीलाल जाति–रैगर निवासी ग्राम रामचन्द्रपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. राज्य सरकार वाया सार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र संबंध पत्थरगढी व रिकार्ड दुरूस्ती

प्रार्थना पत्र का विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण के पैतृक कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 300 रकबा 0.23 हैक्टयर, खसरा नम्बर 372 रकबा 0.65 हैक्टयर कुल किता 2 कुल रकबा 0.88 हैक्टयर जो वाके ग्राम सालगरामपुरा पटवार हल्का विधाणी तहसील सांगानेर जिला जयपुर मे स्थित है। जिसमे प्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/45, प्रार्थी संख्या 2 का हिस्सा 1/45, तथा प्रार्थीगण की माता प्रेम पुत्री स्व० भौरीलाल का हिस्सा 1/15 है। जिसका स्वर्गवास दिनांक 06.03.2002 को हो चुका है। अप्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 4/45 है तथा अप्रार्थी संख्या 2 का हिस्सा 4/5 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। प्रार्थीगण की उक्त वादग्रस्त भूमि मे कमला पत्नि स्व० भौरीलाल जो प्रार्थीगण की नानी है का विरासत नामान्तकरण संख्या 286 दिनांक 26.03.2024 से नाम दर्ज हुआ है। जिसमे प्रार्थी संख्या 1 हेमराज पुत्र श्योनारायण हिस्सा 1/45 व प्रार्थी संख्या 2 रोशन पुत्र श्योनारायण हिस्सा 1/45 दर्ज हुआ है। जबकि उक्त नामान्तकरण मे प्रार्थी संख्या 1 हेमराज उर्फ ताराचन्द पुत्र श्योनारायण हिस्सा 1/45 के नाम से नामान्तकरण होना था किन्तु नामान्तकरण मे हेमराज पुत्र श्योनारायण हिस्सा 1/45 दर्ज हो गया जबकि हेमराज उर्फ ताराचन्द के पिता श्योनारायण के राशन कार्ड सन 2011 मे प्रार्थी संख्या 1 का नाम हेमराज उर्फ ताराचन्द अंकित है तथा मरूधरा ग्रामीण बैंक की पास बुक में ताराचन्द पुत्र श्योनारायण का नाम अंकित है तथा शिक्षा के प्रगति पत्र सन 2001 मे ताराचन्द वर्मा अंकित है। इस प्रकार हेमराज उर्फ ताराचन्द एक ही व्यक्ति के नाम है। इसलिये नामान्तकरणराज संख्या 286 मे हेम पुत्र श्योनारायण भाग1/45 के स्थान पर नाम हेमराज उर्फ ताराचन्द पुत्र श्योनारायण हिस्सा 1/[illegible] होना आवश्यक है। वादग्रस्त कृषि भूमि मे प्रार्थीगण की माता [illegible] स्व० भौरीलाल हिस्सा 1/15 की विरासत प्रार्थीगण के नाम होनी है। प्रार्थीगण की [illegible] देवी का स्वर्गवास दिनांक 06.03.2002 को हो चुका है। प्रार्थीगण की माता की मृत्यु के बाद प्रार्थीगण ही उनके मात्र वारिस है। इस प्रकार प्रार्थीगण की माता प्रेम देवी से प्राप्त प्रार्थीगण का

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:13:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

हिस्सा 1/30, 1/30 है। प्रार्थीगण अधिकारी है कि वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थी संख्या 1 हेमराज उर्फ ताराचन्द पुत्र श्योमनारायण का हिस्सा 1/18 व प्रार्थी संख्या 2 रोशन पुत्र पुत्र श्योमनारायण का हिस्सा 1/18 घोषित करवाकर राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्त करवाने का अधिकारी है साथ ही पत्थरगढी करवाने के अधिकारी है। प्रार्थीगण उक्त दुरूस्ती व विरासत का नामान्तकरण करवाने बाबत श्रीमान तहसीलदार साहब के पास प्रार्थना पत्र दिनांक 17.05.2024 को पेश किया तो तहसीलदार ने कहा कि सक्षम न्यायालय मे कानूनी कार्यवाही करे। जिस कारण यह प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 3 को आदेशित किया जावे कि वह नामान्तकरण संख्या 286 मे हेमराज पुत्र श्योनारायण हिस्सा 1/45 के स्थान पर नाम हेमराज उर्फ ताराचन्द पुत्र श्योनारायण हिस्सा 1/45 अंकित किया जावे तथा प्रार्थीगण की माता प्रेम देवी की विरासत प्रार्थीगण मे हिस्सा 1/30–1/30 इस प्रकार वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/18 व प्रार्थी संख्या 2 का हिस्सा 1/18 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जावे तथा वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण अनुपस्थित।

प्रार्थी की पत्रावली में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया एवं अंत में निवेदन किया किप्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर नामान्तकरण संख्या 286 मे हेमराज पुत्र श्योनारायण हिस्सा 1/45 के स्थान पर नाम हेमराज उर्फ ताराचन्द पुत्र श्योनारायण हिस्सा 1/45 अंकित किया जावे तथा प्रार्थीगण की माता प्रेम देवी की विरासत प्रार्थीगण मे हिस्सा 1/30–1/30 इस प्रकार वादग्रस्त भूमि मे प्रार्थी संख्या 1 का हिस्सा 1/18 व प्रार्थी संख्या 2 का हिस्सा 1/18 राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किया जावे तथा वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करे।

हमने बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया जाने पर प्रार्थी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि नामान्तकरण संख्या 286 में प्रार्थी संख्या 1 का नाम हेमराज पुत्र श्योनारायण के स्थान पर नाम ताराचन्द पुत्र श्योनारायण तथा प्रेम देवी का विरासत का नामान्तकरण में हेमराज के स्थान पर ताराचन्द का नामान्तरकरण खोला जावे।

निर्णय आज दिनांक ....14/6/24.... खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर [illegible] (सांगानेर),
जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 15:1[illegible]:35
Reason: SelfAttested